न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 259 / 2025

दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. मु. धापु पिता उंकारलाल पत्नि कालु जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
2. मु. गंगा पिता उंकारलाल पत्नि चुन्नीलाल जाट आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
3. बालु पिता भैरूलाल जाट आयु वयस्क निवासी सोनियाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
4. बरदीचन्द्र पिता भैरूलाल जाट आयु वयस्क निवासी सोनियाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
5. नारायणलाल पिता भैरूलाल जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।

—— वादी

बनाम

1. भैरूलाल पिता उंकारलाल जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
2. उदयराम पिता भैरूलाल जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
3. प्रकाश पिता भैरूलाल जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
4. मु. रतनीबाई पिता भैरूलाल पत्नि सुरेश जाट आयु वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
5. मु. सोसर पिता उंकारलाल पत्नि कालु जाट आयु वयस्क निवासी गुढा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज.)।
6. रफीकखा पिता सोहनखां पिनारा आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
7. अनवरखां पिता सोहनखां पिनारा आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
8. भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 05.02.2026

–:निर्णयः–

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा हथियाना तहसील कपासन में खाता संख्या 263 के आराजी संख्या 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1430, 1431, 1432, 1433, एवं 1547 कुल किता 22

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

कुल रकबा 10.12 हैक्टेयर स्थित है जो पक्षकारन के मौरूसी मिल्कियत एवं संयुक्त कब्जे की है।

यह कि उंकारलाल का देहान्त सन् 1956 के बाद हुआ जिससे प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात का हिन्दु उत्तराधिकारी कानून से 1/ 5 हिस्सा भैरूलाल, 1/5 हिस्सा उदीबाई, 1/5 हिस्सा सोसर, 1/5 हिस्सा धापूबाई एंव 1/5 हिस्सा मु. गंगाबाई का है एंव भैरूलाल के 1/5 हिस्से के चार वारीस होने से भैरूलाल सहित सभी का क्रमश 1/25, 1/25 हिस्सा उक्त जायदाद मे है इस प्रकार प्रार्थनापत्र मे वर्णित आराजीयात पक्षकारान के संयुक्त हिस्सेदारी की है जिससे प्रार्थीगण यह घोषणा कराने के अधिकारी है कि इस कॉलम में वर्णित हिस्सा प्रार्थीगणो के खातेदारी का दुरुस्ती होकर कब्जे काश्त का है व वर्तमान राजस्व रेकार्ड गलत होकर दुरूस्ती योग्य है।

यह कि विपक्षी सख्या–1 ने उक्त संयुक्त कृषि भूमि में से कुछ हिस्सा अप्रार्थी संख्या 6 व 7 को विक्रय कर दिया है जबकि उसे विक्रय करने का अधिकार भी नही है क्योकी आराजीयात सह स्वामीत्व की है जिससे विपक्षी सख्या 6 व 7 को बिना विधिवत विभाजन कराये आराजीयात मे प्रवेश का अधिकार भी नही है व उक्त अप्रार्थीगण आवेदन मे वर्णित आराजीयात को और आगे हस्तान्तरीत करने एंव प्रार्थीगणो को बेदखली पर उतारू है जबकि विपक्षी संख्या 1 से लगायत 7 को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 से 7 तक को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा भी पाबन्द किया जाना आवश्यक है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षीगणों को कोई नुकसान नही है व जारी न किये जाने पर हम प्रार्थीगणों को अपार क्षति है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7 ने दिनांक 13.02.2017 को विवाद किया व वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात को आगे और हस्तान्तरण एवं खुर्द बुर्द व कब्जे में हस्तक्षेप करने की धमकी दे रहे है जिससे बिनाय दावा पैदा हो रही है जिसकी शुरूआत दिनांक 13.02.2017 से लगातार है।

अन्त में प्रार्थना की कि–

यह कि वादीगणों का वादपत्र स्वीकार फरमा वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में दावे की कॉलम संख्या 3 में वर्णित हिस्सेनुसार वादीगणों का उक्त आराजीयात में हिस्सा होने की घोषणा करा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराया जावें एवं विक्रयपत्र पंजीयन दिनांक 04.11.2016 जो प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के हक में प्रतिवादी संख्या 1 ने किया है को हम वादीगणों के हिस्से तक अवैध घोषित कराया जावें।

यह कि दावें की कॉलम सेंख्या 1 में वर्णित आराजीयात का दावे की कॉलम संख्या 3 में वर्णित हिस्सेनुसार विभाजन की डिक्री भी हम वादीगणों के पक्ष में एवं प्रतिवादीगणों के विरूद्ध प्रदान कराई जावें।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7 तक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें कि दावे की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात से वादीगणों को बेदखल नही करे एवं उक्त आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7 तक अन्यत्र हस्तान्तरित नही करे व ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे न ही अपने परिवारजन नौकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध दिनांक 13.06.2024 को तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 से 7 के विरूद्ध दिनांक 19.12.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्यवादी में वादीगण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

ारायणलाल व मु0 गंगा के शपथ पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये वो प्रदर्श–1, प्रदर्श 2 है। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। की गई बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा वादपत्र में मृत्तक उंकार की मौरूसी जायदाद पर वारिस होने से अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के वाद पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रदर्श–1 हाल जमाबन्दी के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिससे सिद्ध हो सके कि जायदाद मौरूसी है। अतः दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादीगण अपना वादपत्र सिद्ध कराने में असफल रहे। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 आर0टी0एक्ट0 सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन